

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
OF THE REPUBLIC OF INDIA**

AND

**THE PUBLIC SERVICE DIVISION
OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE**

ON

**CO-OPERATION IN THE FIELD OF PERSONNEL
MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION**

PREAMBLE:

The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions of the Republic of India and the Public Service Division, Prime Minister's Office, of the Republic of Singapore (hereinafter collectively referred to as "the Parties" and individually as "a Party"),

Wishing to promote bilateral co-operation in the fields of Personnel Management and Public Administration between the Public Services of both countries.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Objective

This Memorandum of Understanding (hereinafter the "MoU") aims to strengthen the partnership between the Parties through various forms of co-operation between both countries' Public Service officers.

ARTICLE 2

Areas of Co-operation

The Parties and relevant Government agencies from both countries shall, subject to applicable domestic law in force in their respective countries, endeavour to undertake co-operation in such areas as the Parties agree upon in writing, which may include, but are not limited to:

- a) Workforce, Workplace and Jobs;
- b) Public Service Delivery;
- c) Human Resource Management;
- d) Public Sector Reform;
- e) Leadership/Talent Development; and
- f) E-Governance/ Digital Government;

ARTICLE 3

Forms of Co-operation

1. The forms of co-operation under this MoU shall include, but are not limited to, the following:
 - a) Study visits for the Parties' Public Services officers to exchange information and experience in areas of common interest;
 - b) Exchange of information by the Parties' experts in the field of Personnel Management and Public Administration;
 - c) Co-operation between training institutes of the Parties in the training of Public Service officers;
 - d) Establishment of joint projects, joint comparative research, and other joint mechanisms, as the Parties may agree upon; and
 - e) Such other methods within the purview of this MoU as the Parties may agree upon.
2. The details and arrangements for the collaborative activities will be jointly determined by the countries' relevant Government agencies.
3. The Parties will review the areas of common interest and the progress of various forms of co-operation periodically.

ARTICLE 4

Financial Arrangements

1. The precise funding arrangements for collaborative activities will be jointly determined by the relevant Government agencies from Singapore and India on a project-by-project basis.
2. Unless otherwise mutually decided by the relevant Government agencies, the following terms can apply to the collaborative activities:
 - a. The expenditure incurred for international and local travel, accommodation, salary, subsistence, and other local and incidental expenses in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this MoU shall be borne by each Party.

- b. The host Party shall assist with the logistical arrangements for local travel and accommodation.
- c. The expenditure incurred for any documents or materials exchanged in connection with the collaborative activities arising from the implementation of this MoU shall be borne by the requesting Party

ARTICLE 5

Intellectual Property Rights and Confidentiality

1. Intellectual property rights in any information, document or material exchanged pursuant to any co-operation under this MoU shall be protected and enforced in accordance with the respective domestic law and international obligations of the Parties.
2. When a Party discloses any information, document or material in any form under this MoU to the other Party, the disclosing Party shall, in writing, inform the receiving Party of any confidentiality or secrecy attached to the information, document or material.
3. The receiving Party shall observe such confidentiality or secrecy subject to its domestic law.
4. This article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.

ARTICLE 6

Amendment

1. This MoU may be amended by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channels and such amendment shall take effect on such date as may be determined by the Parties.
2. An amendment of this MoU shall not affect any rights and obligations arising from this MoU before the effective date of the amendment unless the Parties agree otherwise in the Exchange of Notes.

ARTICLE 7

Suspension

1. A Party may, for reasons of security, public order or public health, suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU.
2. The suspension shall take effect 30 days after written notification through the diplomatic channel or on the date of the notice if the suspending Party considers the immediate suspension essential.
3. The suspending Party may terminate the suspension by written notification through the diplomatic channel.
4. The termination of suspension shall take effect 30 days after the written notification referred to in paragraph 3 or such earlier date as the Parties agree in an Exchange of Notes through the diplomatic channel.

ARTICLE 8

Settlement of Disputes

Any dispute between the Parties arising from, or relating to, the interpretation, application or implementation of the provisions of this MoU shall be settled amicably through mutual consultations and negotiations.

ARTICLE 9

Entry into Force, Duration and Termination

1. This MoU shall enter into force on 1 June 2018. It shall remain in force for a period of five years and may be extended for further periods by written agreement of the Parties through the diplomatic channel.
2. Notwithstanding Paragraph 1, this MoU may be terminated at any time by either Party giving six months' written notice in advance through the diplomatic channel to the other Party of its intention to terminate this MoU.

3. The termination of this MoU shall not, in any way, affect the validity and completion of any activities to be undertaken pursuant to this MoU before the date of termination, and such activities shall be carried out until due discharge by performance.


ARTICLE 10

Effects of MoU

1. This MoU does not constitute or create, is not intended to constitute or create, and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable rights or obligations under the national laws, rules and regulations of either Party or under international law, express or implied.
2. Notwithstanding anything in paragraph 1, Article 5 (Intellectual Property Rights and Confidentiality) and Article 8 (Settlement of Disputes) shall be binding on the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed and sealed this MoU in two originals, each in the Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any dispute, the English text shall prevail.

DONE at Singapore on the first day of June 2018.



For the Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions
of the Republic of India

Mr. Jawed Ashraf,
High Commissioner of India to
the Republic of Singapore



For the Public Service Division,
Prime Minister's Office, of the
Republic of Singapore

Ms Yong Ying-I
Permanent Secretary
Public Service Division
Prime Minister's Office, Republic
of Singapore

कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के
क्षेत्र में सहयोग
के संबंध में
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत गणराज्य
और
पब्लिक सर्विस डिविजन
ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर
के मध्य
समझौता ज्ञापन

उद्देशिका :

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत गणराज्य और पब्लिक सर्विस डिविजन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकारों" तथा वैयक्तिक रूप से 'पक्षकार') कहा जाएगा,

कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में दोनों देशों की लोक सेवाओं के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा से

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (जिसे इसके बाद 'एमओयू' कहा जाएगा) का उद्देश्य दोनों देशों के लोक सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग के विविध प्रकारों के माध्यम से पक्षकारों के मध्य भागीदारी को मजबूत बनाना है।

अनुच्छेद 2

सहयोग के क्षेत्र

पक्षकारों तथा दोनों देशों की संबंधित सरकारी एजेंसियां अपने-अपने देश में लागू कानून के अधधीन ऐसे क्षेत्रों में जिन पर पक्षकार लिखित रूप में सहमत तो हैं किंतु, इन तक ही सीमित नहीं हैं, सहयोग का प्रयास करेंगी :-

- (क) कार्यबल, कार्यस्थल और नौकरियां;
- (ख) लोक सेवा प्रदायगी;
- (ग) मानव संसाधन प्रबंधन;
- (घ) लोक सेवा सुधार;
- (ङ) नेतृत्व/प्रतिभा विकास;
- (च) ई-गवर्नेंस/डिजिटल सरकार।

अनुच्छेद 3

सहयोग के प्रकार

1. समझौता ज्ञापन में सहयोग के प्रकार में निम्नलिखित शामिल तो होंगे किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :-
 - (क) साझा हित के क्षेत्रों में सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए पक्षकारों के लोक सेवा अधिकारियों के अध्ययन दौरे;
 - (ख) कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में पक्षकारों के विशेषज्ञों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान;
 - (ग) लोक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में पक्षकारों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग;
 - (घ) संयुक्त परियोजनाएं, संयुक्त तुलनात्मक शोध तथा अन्य संयुक्त तंत्र स्थापित करना जैसा कि पक्षकार सहमत हों; और
 - (ङ) इस समझौता ज्ञापन के क्षेत्राधिकार के भीतर इस प्रकार की अन्य पद्धतियां जिन पर पक्षकार सहमत हों ।
2. सहयोगात्मक कार्यकलापों के ब्यौरे तथा व्यवस्थाओं का निर्धारण दोनों देशों की संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।
3. पक्षकार आवधिक रूप से साझा हित के क्षेत्रों तथा सहयोग के विविध प्रकारों की प्रगति की समीक्षा करेंगे ।

अनुच्छेद 4

वित्तीय व्यवस्थाएं

1. सहयोगात्मक कार्यकलापों के लिए सटीक वित्तपोषण व्यवस्थाएं सिंगापुर और भारत की संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी।
2. संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जब तक अन्यथा पारस्परिक रूप से निर्णित हों, सहयोगात्मक कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू की जा सकती हैं:-
 - (क) प्रत्येक पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगात्मक कार्यकलापों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय यात्रा, आवास, वेतन, भोजन तथा अन्य स्थानीय और आकस्मिक व्यय वहन करेगा।
 - (ख) मेजबान पक्षकार स्थानीय यात्रा और आवास की व्यवस्था में सहयोग करेगा।
 - (ग) अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से उत्पन्न सहयोगात्मक कार्यकलापों के संबंध में किन्हीं दस्तावेजों अथवा सामग्रियों के आदान-प्रदान का व्यय वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और गोपनीयता

1. इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी सहयोग के अनुसरण में किसी सूचना, दस्तावेज और विनियमित सामग्री में बौद्धिक संपत्ति के अधिकार की संरक्षा पक्षकारों से संबंधित घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार की जाएगी।

2. जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किसी रूप में कोई सूचना, प्रलेख अथवा सामग्री प्रकट करता है तो प्रकट करने वाला पक्ष लिखित में प्राप्तकर्ता पक्षकार को सूचना, प्रलेख अथवा सामग्री से सम्बद्ध गोपनीयता अथवा गुप्तता के बारे में सूचित करेगा ।
3. प्राप्तकर्ता पक्षकार अपने घरेलू कानून के अधीन ऐसी गोपनीयता अथवा गुप्तता का पालन करेगा ।
4. यह अनुच्छेद इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बावजूद दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी रहेगा ।

अनुच्छेद -6

संशोधन

1. राजनयिक चैनलों के माध्यम से पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जरिए पक्षकारों की पारस्परिक सहमति द्वारा समझौता ज्ञापन संशोधित किया जा सकता है और इस प्रकार का संशोधन पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा ।
2. जब तक पक्षकार अन्यथा टिप्पणियों के आदान-प्रदान में सहमति नहीं दे देता तब तक इस समझौता ज्ञापन का संशोधन, संशोधन की प्रभावी तारीख से पहले समझौता ज्ञापन से उत्पन्न किन्हीं अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 7

स्थगन

1. एक पक्षकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा लोक स्वास्थ्य के कारणों से समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन पूर्णतः अथवा अंशतः अस्थायी रूप से स्थगित कर सकता है ।

2. यदि स्थगित करने वाला पक्षकार तत्काल स्थगन अनिवार्य समझता है तो राजनयिक चैनल के माध्यम से अथवा नोटिस की तारीख की लिखित अधिसूचना के बाद स्थगन 30 दिनों में लागू होगा ।
3. स्थगित करने वाला पक्षकार राजनयिक चैनल के माध्यम से लिखित अधिसूचना द्वारा स्थगन समाप्त कर सकता है ।
4. स्थगन की समाप्ति अधिसूचना के 30 दिन बाद अथवा समयपूर्व पक्षकारों की राजनयिक चैनल के जरिए टिप्पणियों के आदान-प्रदान में सहमति होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

अनुच्छेद 8

विवादों का निपटारा

इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों की व्याख्या, प्रयोज्यता अथवा कार्यान्वयन से पक्षकारों के बीच उत्पन्न किसी विवाद का सौहार्दपूर्ण निपटान पक्षकारों के बीच परामर्श और बातचीत के माध्यम से किया जाएगा ।

अनुच्छेद 9

लागू होना, अवधि और समाप्ति

1. समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख (1 जून, 2018) से लागू होगा । यह पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसे राजनयिक चैनल के जरिए पक्षकारों के लिखित करार द्वारा आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
2. पैराग्राफ (1) के बावजूद राजनयिक चैनल के माध्यम से किसी पक्षकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के लिए अन्य पक्षकार को अपने आशय की छह महीने की अग्रिम लिखित सूचना देकर इस समझौता ज्ञापन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ।
3. इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में शुरू किए जाने वाले किन्हीं कार्यकलापों की वैधता और समापन को इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से पूर्व

किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी और जब तक निष्पादन से अपेक्षित कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसे कार्य कलाप आगे चलाए जाएंगे।


अनुच्छेद 10

समझौता ज्ञापन के प्रभाव


1. यह समझौता ज्ञापन संघटन अथवा सृजन नहीं करता, इसका आशय संघटन अथवा सृजन करना नहीं है, तथा यह राष्ट्रीय कानूनों, दोनों में से किसी एक पक्ष के नियमों और विनियमों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्यक्त अथवा अंतर्निहित किसी कानूनी बाध्यता अथवा प्रवर्तन अधिकारों अथवा दायित्वों का संघटन अथवा सृजन नहीं समझा जाएगा।
2. पैरा 1 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 5 (बौद्धिक सम्पदा अधिकार और गोपनीयता) तथा अनुच्छेद 8 (विवादों का निपटान) पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

साक्ष्यों की उपस्थिति में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों से विधिवत प्राधिकृत होने पर इस समझौता ज्ञापन की हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों पर मोहर सहित हस्ताक्षर किए जिनके सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

करार आज दिनांक 1 जून, 2018 को सिंगापुर में हस्ताक्षरित



भारत गणराज्य सरकार के निमित्त
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन
मंत्रालय, भारत गणराज्य



पब्लिक सर्विस डिविजन,
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ द
रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के निमित्त